न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

दावा सं0 — 136/2017

प्रविष्टि दिनांक — 27.10.2017

उनवान

1. रामफूल पुत्र मोहना जाति रैगर निवासी कस्बा निवाई, तहसील निवाई जिला टोंक
2. शकुन्तला देवी पत्नी दुर्गालाल जाति रैगर निवासी शिवाजी कॉलोनी कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक
3. बसन्त कुमार पुत्र मूलचन्द जाति रैगर निवासी उपरलाबास मोहल्ला कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक
4. गोकुलचन्द पुत्र धन्नालाल जाति रैगर निवासी गोलपुर तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर राज0
5. शिवशंकर पुत्र रामदयाल जाति रैगर निवासी झोटवाडा जयपुर राज0
6. कुन्दनमल पुत्र छाजूराम जाति रैगर निवासी चन्दलाई जिला जयपुर
7. सुनीता देवी पत्नी किरण कुमार नोगिया निवासी जयपुर राज0

वादीगण

बनाम

1. अजय सिंह पुत्र किशनसिंह राठौड जाति राजपूत निवासी 11/ए अर्जनपुरी ईमली फाटक जयपुर
2. छीतर पुत्र डालू जाति माली निवासी रागिया की ढाणी कस्बा ढाणी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
3. रामेश्वर पुत्र भगवान जाति माली निवासी रागिया की ढाणी कस्बा ढाणी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
4. फूलचन्द पुत्र भगवाना जाति माली निवासी रागिया की ढाणी कस्बा ढाणी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
5. गंगा पुत्री भगवाना जाति माली निवासी रागिया की ढाणी कस्बा ढाणी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
6. गलखू बेवा भगवाना जाति माली निवासी रागिया की ढाणी कस्बा ढाणी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
7. प्रेम पुत्री डालू जाति माली निवासी रागिया की ढाणी कस्बा ढाणी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
8. रामचन्द पुत्र रसिया जाति माली निवासी रागिया की ढाणी कस्बा ढाणी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
9. संतोष पुत्री रसिया जाति माली निवासी रागिया की ढाणी कस्बा ढाणी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
10. रमेश पुत्र गल्या जाति माली निवासी रागिया की ढाणी कस्बा ढाणी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
11. कैलाशी पुत्री गल्या जाति माली निवासी रागिया की ढाणी कस्बा ढाणी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
12. छोटू पुत्र आनन्दा जाति माली निवासी रागिया की ढाणी कस्बा ढाणी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
13. पूरण पुत्र ग्यारसा जाति माली निवासी रागिया की ढाणी कस्बा ढाणी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
14. मोहन पुत्र ग्यारसा जाति माली निवासी रागिया की ढाणी कस्बा ढाणी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0

उपखण्ड अधिकारी
निवाई

15. राजू पुत्र ग्यारसा जाति माली निवासी रागिया की ढाणी करवा ढाणी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
16. मनोज पुत्र ग्यारसा जाति माली निवासी रागिया की ढाणी करवा ढाणी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
17. विमल पुत्र ग्यारसा जाति माली निवासी रागिया की ढाणी करवा ढाणी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
18. हीरा पुत्री ग्यारसा जाति माली निवासी रागिया की ढाणी करवा ढाणी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
19. शांति उर्फ नाथी बेवा ग्यारसा जाति माली निवासी रागिया की ढाणी करवा ढाणी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
20. तहसीलदार निवाई जिला टोंक
21. उप पंजीयक निवाई जिला टोंक

प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री रामअवतार शर्मा–अभिभाषक वादीगण
श्री कौशल किशोर चौधरी..–अभिभाषक प्रतिवादीगण

निर्णय

दावा बाबत–उदघोषणा दुरूस्ती शीट एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक–....................

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक वाद बाबत उदघोषणा दुरूस्ती शीट व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार आराजी खसरा नंबर 2715 / 2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा निवाई जिला टोंक मे स्थित है जो राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 के सटवा स्थित है जिस पर वादीगण खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि के सटवा प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नंबर 2650 / 2 व 2650 / 3 स्थित है जो सटवा स्थित है। वादीगण व प्रतिवादीगण की उक्त आराजी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 बाईपास रोड निकल जाने के कारण खसरा नंबर 2650 मे 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि राजमार्ग मे गई तथा इसी प्रकार खसरा नंबर 2715 मे 1 बिस्वा भूमि राजमार्ग मे जाने के पश्चात इसी अनुसार भूमि राजमार्ग मे गई उसके अनुसार राजस्व शीट मे भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रथम जयपुर के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग की शीट मे तरमीम कर दी गई जिसके अनुसार वादीगण की भूमि का उत्तरी कोना राष्ट्रीय राजमार्ग के सटवा स्थित होकर रोड के सटवा वादीगण की भूमि स्थित है जिसके अनुसार वादीगण अपनी भूमि पर काबिज है। वादीगण की भूमि खसरा नंबर 2715 के सटवा ही पश्चिमी ओर खसर नंबर 2650 प्रतिवादीगण 2 ता 19 की खातेदारी की भूमि रही जिनकी भूमि 1 बीघा 15 बिस्वा जाने के बाद खसरा नंबर 2650 / 2 प्रतिवादी सं0 2 ता 19 की खातेदारी मे शेष भूमि 1 बीघा 15 बिस्वा रही जिसमे से 6 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं0 1 को बेचान कर दी उक्त भूमि एवं वादीगण की भूमि दोनो ही भूमिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित चली आ रही है। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा 6 बिस्वा भूमि बिना तकासमा कराये प्रतिवादी सं0 2 ता 19 से खरीद कर राजस्व रिकार्ड मे अंकित करा ली। किन्तु प्रतिवादी सं0 1 ने राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर बिन किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के मनमर्जी से खसरानंबर 21650 / 2 रकबा 6 बिस्वा भूमि गलत रूप से बंटवारा कर राजस्व रिकार्ड मे 2650 / 3 के रूप मे अलग अंकित कर दिया तथा राजमार्ग मे गई भूमि की तरमीम भूमि अवाप्ति अधिकारी की शीट मे की गई उसके विपरीत जाकर गलत तरीके से 2650 / 2 की तरमीम वादीगण की भूमि के उत्तरी कोने की भूमि को हडप करने के उदेश्य से त्रुटिपूर्ण शीट मे तरमीम कर दी गई। उक्त गलत तरमीम का फायदा उठाकर वादीगण की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। अतः वाद स्वीकार कर, वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 2715 / 2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा के उत्तरी कोने की तरफ प्रतिवादी सं01 की भूमि खसरा नंबर 2650 / 3 की, की गई तरमीम को अवैध घोषित किया जावे , खसरा नंबर 2415 / 2 एवं खसरानंबर 2650 / 3 के मध्य हाल राजस्व शीट मे राष्ट्रीय राजमार्ग की तरमीम को भूमि अवाप्ति अधिकारी की शीट मे मुताबिक तरमीम करवाई जाकर राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

इसके पश्चात वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ उनके विरूद्ध एकरफा कार्यवाही की गई।

अधिवक्ता वादीगण द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे नकल जमावंदी संवत, 2066–69 प्रदर्श–1, नक्शा ट्रेस, मोमिया नक्शा , बेचान पत्र आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

अधिवक्ता वादी द्वारा पी0डब्ल्यू–1 के रूप मे बसन्त कुमार पुत्र मूलचन्द रैगर के वयान करवाये, पी0डब्ल्यू–2 शिवशंकर पुत्र रामदयाल रैगर, पी0डब्ल्यू–3 गोकुलचन्द पुत्र धन्नालाल रैगर, पी0डब्ल्यू–4 दुर्गालाल पुत्र गणपतलाल रैगर के बयान करवाये जो शामिल पत्रावली है।

हमने दावे पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलबध मोमिया नक्शा शीट एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस के अवलोकन से दोनो मे भिन्नता पायी गई है साथ ही विक्रय पत्र मे बेचान की गई भूमि के पूर्वी ओर दुकाने दर्शित की गई है इससे स्पष्ट है कि बेचान से पूर्व ही विकित खसरा नंबर 2715/2 मे दुकाने निर्मित थी। मोमिया शीट से यह भी स्पष्ट है कि पूर्व मे मूल खसरा नंबर 2715 था जिसके राजमार्ग मे जाने के बाद जमाबंदी संवत 2066–2069 के अनुसार 2715/1 व 2715/2 बने है। खसरा नंबर 2715/2 खातेदारी मे है तथा 2715/1 की किस्म गै.मु. सडक होकर परिवहन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के नाम अंकित है। अर्थात मूल खसरा नम्बर 2715 की कुछ भूमि सडक परिवहन मे अवाप्त की गई है। लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान नक्शा शीट के अनुसार की गई तरमीम मे सडक अवाप्ति भूमि से खसरा नंबर 2715/1 व 2715/2 प्रभावित ही नही हो रहे है जबकि खसरा नंबर 2715 मे से भी राजमार्ग मे भूमि अवाप्त की गई है। नक्शे के अनुसार सडक के दोनो ओर मूल खसरा नंबर 2750 की ही भूमि दर्शित हो रही है जो त्रुटि पूर्ण है जिसे दुरूस्त कराने का वादीगण अधिकारी है। प्रकरण मे प्रतिवादीगण द्वारा बावजूद तामील के जवाब प्रस्तुत नही करना, वाद पत्र के तथ्यो के प्रति उनकी स्वीकारोक्ति को दर्शाता है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय वादीगण का वाद स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

फलतः वाद उदघोषणा दुरूस्ती शीट व स्थाई निषेधाज्ञा ख.न. 2715/2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा निवाई, तहसील निवाई, जिला टोंक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान शीट मे खसरा नंबर 2715/2 की तरमीम राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर कब्जे अनुसार दुरूस्त किया जाकर, नवीन तरमीम की कार्यवाही करे, राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज **दिनांक** 06/2/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी,निवाई